।। निदेशालय गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर ।।

जलेब चौक, जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2613407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक :– गृरमु / स्था / ई–1(4–16) / 2020 / 27321-70 दिनांक :– 07/9/2020

:: स्थाई आदेश सं0 16 / 2020 ::

गृह रक्षा विभाग में समस्त जिला मुख्यालय पर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में समादेष्टा / उप समादेष्टाओं को पदस्थापित किया जाता है। समादेष्टा / उप समादेष्टाओं की अनुपलब्धता के कारण समय–समय पर अन्य जिले में पदस्थापित समादेष्टा / उप समादेष्टाओं को अन्य गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कई बार अतिरिक्त प्रभार वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में समादेष्टा / उप समादेष्टाओं द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. समादेष्टा / उप समादेष्टा अपने अतिरिक्त कार्यभार वाले कार्यालय में प्रति सप्ताह एक निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे तथा न्यूनतम माह में तीन रात्रि विश्राम भी करेंगे।

   यदि किसी अधिकारी के पास एक से अधिक केन्द्रों का अतिरिक्त कार्यभार है तो वह अपने अतिरिक्त कार्यभार वाले केन्द्रों में से प्रत्येक में माह में दो भ्रमण व दो रात्रि विश्राम करेंगें।
2. सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के स्वयंसेवकों के समस्त प्रकार के नियोजन व रोटेशन को निदेशालय के आदेशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. स्वयंसेवकों के नियोजन से सम्बन्धित भुगतान समय पर करवाया जाना उनका उत्तरदायित्व होगा।
4. सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में समस्त प्रकार के प्रशिक्षण की प्रगति को व्यक्तिगत रूप से चैक करेंगे तथा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति की जानी सुनिश्चित करेंगे।
5. सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र के स्वयं सेवकों की सम्पर्क परेड में कमाण्डेन्ट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस हेतु वे अपने स्वयं के प्रशिक्षण केन्द्र व अतिरिक्त चार्ज वाले केन्द्र की दिनांक तदानुसार निश्चित करेंगे।
6. प्रत्येक समस्या निवारण समिति की आयोजित बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा स्वयं सेवकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। 2

7. अतिरिक्त प्रभार वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में निदेशालय के प्रचलित आदेशानुसार निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. अपने भ्रमण के दौरान उपकेन्द्रों/कम्पनी मुख्यालयों का भी समय समय पर भ्रमण करेंगे।
9. अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में विभिन्न शाखाओं का कार्य चैक करेंगे, कार्यालय प्रणाली को सुदृढ बनायेंगे, लंबित पत्रों का गोश्वारा बनवाया जायेगा तथा समय सीमा अनुसार पत्रों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
10. अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में गृह रक्षा विभाग की प्राथमिकताओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
11. समय–समय पर स्वयं के कार्यालय तथा समस्त अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में स्वयंसेवकों तथा स्थाई स्टाफ की बैठक लेकर उनको नियमानुसार लगन, उत्साह एवं परिश्रम से कार्य करने हेतु निर्देशित करेंगे।
12. स्वयंसेवकों के वेलफेयर सम्बन्धी प्रकरणों तथा स्थाई स्टाफ के पेंशन प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(राजीव दासोत)
महानिदेशक,
गृह रक्षा निदेशालय
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अति. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा प्रथम/ द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टाफ ऑफिसर, प्रथम/ द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
8. उप समादेष्टा, गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त समादेष्टा/उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. गार्ड पत्रावली।

07.09.2020

महानिदेशक,
गृह रक्षा निदेशालय
जयपुर